अनुमंडल कार्यालय,पीरो,भोजपुर।

विकास मित्र के रिक्त पदों पर नियोजन संबंधी सूचना

मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार,पटना के पत्रांक–750, दिनांक–13.03.2023, पत्रांक–1272, दिनांक–02.05.2023, जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक– 2256/क०, दिनांक–10.11.2023, जिला कल्याण पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक–1476/क०, दिनांक–07.02.2024 एवं पत्रांक– 1532/क०, दिनांक–12.08.2024 में अंकित निदेश के अनुपालन में पीरो अनुमंडल अन्तर्गत पीरो प्रखंड के तिलाठ ग्राम पंचायत में रिक्त विकास मित्र के पद पर निर्धारित आरक्षित वर्ग के अनुरूप अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित की जाती है। विकास मित्र नियोजन की प्रकिया विकास मित्र चयन मार्गदर्शिका के अनुरूप संपन्न की जायेगी। विकास मित्र के रिक्त पद पर नियोजन हेतु दिनांक–09.12.2024 से 14.12.2024 तक आवेदन प्राप्त किया जायेगा। रिक्त पद एवं आरक्षित वर्ग की स्थिति निम्नवत है:–

क्र०	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	रिक्तियों की संख्या	जातिगत बहुलता	आरक्षण (पुरुष/महिला)
1.	पीरो	तिलाठ	01	मुसहर	अनारक्षित

नियोजन हेतु तिथिवार कार्यसूची निम्नवत है:–

कार्य सूची	निर्धारित तिथि
(1) विज्ञापन की तिथि	08.12.2024
(2) आवेदन प्राप्त करने की तिथि	09.12.2024 से 14.12.2024 तक
(3) मेधा सूची तैयार करना एवं प्रकाशित करना	16.12.2024
(4) औपबंधिक चयन सूची तैयार करना एवं अनुमोदित करना	17.12.2024
(5)औपबधिक चयन सूची का प्रकाशन एवं आपति प्राप्त करना	18.12.2024 से 21.12.2024 तक
(6)आपति निराकरण करके अंतिम चयन सूची/ नियोजन सूची का प्रकाशन	23.12.2024
(7)नियोजन पत्र वितरण/ शपथ ग्रहण उन्मुखीकरण	24.12.2024

चयन हेतु अहर्त्ता:–

1. आवेदक संबंधित पंचायत में पूर्व से निर्धारित महादलित परिवार की जाति बहुलता से होगें।
2. जिस पंचायत मे विकास मित्र का चयन किया जाना है। संबंधित पंचायत के निवासी से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा।
3. आयु सीमा:–आवेदक का उम्र पहली जनवरी 2024 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष के बीच होना चाहिए।
4. शैक्षणिक योग्यता–आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। मैट्रिक या समकक्ष नही मिलने की स्थिति में निम्न प्रकार से चयन किया जा सकता है:–

(1) नन–मैट्रिक, (2) नौंवी पास (3)आठवीं पास (4)सातवीं पास (5)छठा पास (6) पाचवीं पास। सर्वप्रथम नन–मैट्रिक उसके पश्चात् नवमी पास उसी प्रकार से नीचे के क्रम मे चयन किया जायेगा। महिलाओं के शैक्षणिक योग्यता नही मिलने पर साक्षर होने पर भी उन्हे चयनित किया जाएगा। मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थी के लिए अतिरिक्त लाभ नही दिया जायेगा। मैट्रिक या समकक्ष में सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा ।

5.नियोजन की अवधि:– विकास मित्र का नियोजन 60 वर्ष तक कार्य किये जाने हेतु अनुबंध के आधार पर किया जाएगा। विकास मित्र सरकारी सेवक नही माने जाएगें।

योग्य अभ्यर्थी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पीरो के कार्यालय में दिनांक–09.12.2024 से 14.12.2024 तक किसी भी कार्य दिवस में आवेदन कर सकते है।

विस्तृत जानकारी बेबसाईट–State.bihar.gov.in/prdbihar एवं जिला के बेबसाईट पर देखा जा सकता है।

30/11/24
अनुमंडल पदाधिकारी,
पीरो, भोजपुर।

Scanned by CamScanner